पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 08.01.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राममिलन रैकवार पुत्र रामअवतार रैकवार उम्र करीब 24 वर्ष 2.जीतू रैकवार पुत्र रामअवतार रैकवार उम्र 19 वर्ष निवासीगण मो0 नयापुरा बंधानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिनके कब्जे से क्रमशः 02 किलोग्राम व 03 किलोग्राम कुल 05 किलोग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए विंध्यवासिनी मंदिर गेट के सामने जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 20/25 व 21/25 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.राममिलन रैकवार पुत्र रामअवतार रैकवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मो0 नयापुरा बंधानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

2.जीतू रैकवार पुत्र रामअवतार रैकवार उम्र 19 वर्ष निवासी मो0 नयापुरा बंधानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास...

राममिलन रैकवार पुत्र रामअवतार रैकवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मोहल्ला नयापुरा वंधानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के विरुद्ध मु0अ0सं0 331/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 उ0नि0 विवेक कुमार चौकी प्रभारी मनियादेव 2. उ0नि0 शारिक मुराद 3.कां0 आशीष पाल 4.कां0 धर्मेन्द्र कुमार

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 08.01.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 09/2025 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.शफीक उर्फ वहीद पुत्र मुल्ला उर्फ मुन्ना मंसूरी उम्र करीब 26 वर्ष 2.श्रीमती सज्जो पत्नी मुल्ला उर्फ मुन्ना मंसूरी उम्र करीब 54 वर्ष निवासीगण ग्रा0 लाडपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा को राठ चुंगी महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शफीक उर्फ वहीद पुत्र मुल्ला उर्फ मुन्ना मंसूरी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्रा0 लाडपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा
2. श्रीमती सज्जो पत्नी मुल्ला उर्फ मुन्ना मंसूरी उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्रा0 लाडपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा चौकी प्रभारी सुभाष

2. का0 उपेन्द्र कुमार

3. म0का0 बबिता पाल

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निर्माण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सुनील कुमार मिश्र मय हमराह उ0नि0 रमेश कुमार यादव व का0 देवेन्द्र राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र सिध्द गोपाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी गायत्री मो0 कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए कस्बा पनवाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मंगल सिंह पुत्र सिध्द गोपाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी गायत्री मो0 कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सुनील कुमार मिश्र
2. उ0नि0 रमेश कुमार यादव
3. का0 देवेन्द्र राजपूत